पर्यावरण एक ऐसा विषय रहा है जो भारतीय सभ्यता की शुरुआत से ही इसमें समाहित रहा है। सिंधु घाटी का समाज हो या फिर ऋग्वेदकाल से आज तक का समय, पर्यावरण हमारी संस्कृति तथा समाज का अभिन्न विषय रहा है। पोषणीय विकास नामक संकल्पना प्राचीन भारतीय समाज से वर्तमान तक दिखलाई देती है। प्रकृति के विभिन्न तत्व अग्नि, आकाश, वायु, जल, मृदा और साथ ही विभिन्न जीवों के प्रति आदर, हमारी दिनचर्या का अहम् भाग है। ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, रामायण, अथर्ववेद, स्कन्ध पुराण, मत्स्य पुराण आदि कई ग्रंथ है जिनमें पर्यावरण के प्रति भारतीय समाज में चेतना देखने को मिलती है।

किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तथा पश्चात काफी समय तक भारत में पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखलाई नहीं दी। भारत की सर्वोच्च विधि "भारत के संविधान" में भी शुरुआती दौर में पर्यावरण को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। भारत ही नहीं पूरे विश्व की तत्कालीन व्यवस्था को देखा जाए तो संपूर्ण मानव समाज ही उस समय पर्यावरण विषय को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आता है।

किन्तु कालांतर में पूरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिससे विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर खींचा और तब जाकर न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण को लेकर गंभीर ख्याल प्रारंभ किए गए।

Scanned by CamScanner

सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण को लेकर "स्टॉकहोम सम्मेलन" आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पारित घोषणा एवं सिद्धान्तों को पर्यावरण विषय के "मैग्नाकार्टा" के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने अपने प्रभावपूर्ण वक्तव्य में न केवल पर्यावरण बल्कि जनसंख्या और गरीबी विषय को भी पर्यावरण से जोड़कर विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया।

यह स्टॉकहोम सम्मेलन का ही प्रभाव था कि सन् 1976 में संसद द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 48 (क) "पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा — राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा" जोड़ा गया। इसी प्रकार भाग 4 (क) मूल कर्तव्य में (छ) अथवा (g) सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें"।

इससे पूर्व भारतीय संविधान के अनु. 47 व 48 में कुछ हद तक पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी तत्व दिखलाई देते थे। संभवतः भारत विश्व का प्रथम देश होगा जिसने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को स्थान दिया।

Scanned by CamScanner

भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत भी पर्यावरण विषय ~~शामिल~~ सम्मिलित रहा है। हमारा समाज "समाजवादी" व्यवस्था का समर्थक है। पर्यावरण प्रदूषण आज भारत में एक बड़ी सामाजिक समस्या है। जिसका निवारण करना राज्य का परम कर्तव्य है। गरिमापूर्वक जीवन यापन सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व है। पर्यावरण प्रदूषण आज एक बड़ी ~~सामाजिक~~ समस्या है, इसका सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन के अधिकार पर पड़ता है।

संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय तथा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नामक शब्दों में कहीं न कहीं पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण भी सम्मिलित है क्योंकि पर्यावरण की अवहेलना कर हम कभी संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

भारतीय संघात्मक व्यवस्था में विधायी शक्तियों को संघ एवम् राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है। संविधान के अंतर्गत (1) संघ सूची (2) राज्य सूची तथा (3) समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 की अनुसूची 7 (सूची 1) के अनुसार संसद को रक्षा, आणविक ऊर्जा, उद्योग, तेल क्षेत्रों का विकास विनियमन, खानों का विनियमन, खनिज विकास, अंतर्राज्यीय नदी परिवहन व नदी विकास, मीन क्षेत्र से सम्बन्धित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार अनुसूची 7 की सूची (2) अर्थात् राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, भूमि और उपनिवेशन, कृषि, मात्स्यिकी, खान व खनिज जैसे विषय हैं जिन पर राज्य विधि का निर्माण कर सकेगा। इनके अलावा समवर्ती सूची (अनुसूची 7)(3) में वर्णित विषयों पर संघ व राज्य दोनों विधियों का निर्माण कर सकते हैं।

Scanned by CamScanner

इन सांविधानिक उपबंधों के परिशीलन से यह बात स्पष्ट है कि संविधान में पर्यावरण ~~किसी~~ प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किए गए हैं। लगभग 200 से अधिक विधानों का निर्माण आज तक इस विषय पर किया जा चुका है। सन् 1986 में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया जा चुका है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति भारत की बाध्यता हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्य (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों के बनाए रखने का; (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और (घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 253 में संसद को शक्ति है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा सम्मेलनों, संगमों एवम् अन्य निकायों के निर्णयों के प्रवर्तन हेतु विधि निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 253 प्रावधान करता है कि "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।"

संघ सूची की प्रविष्टि 13 में संसद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और निकायों में भाग लेने और उनमें किए गए विनिश्चयों के क्रियान्वयन हेतु विधि सृजन की शक्ति है। इसी तरह प्रविष्टि 14 के अंतर्गत विदेशों से संधि व करार करने और विदेशों से संधियों, करारों, अभिसमयों के क्रियान्वयन हेतु संसद को शक्ति है।

Scanned by CamScanner

भारतीय संसद ने इस शक्ति का उपयोग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में किया है। यह दोनों "स्टॉकहोम घोषणा" के पालन में पारित कर गए थे।

"वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ" मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो विधि के विरुद्ध नहीं है, उनको घरेलू विधि में सम्मिलित समझा जाएगा और न्यायालयों द्वारा उनका अनुसरण किया जाएगा।

"पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ" वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के प्रावधान जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का विवर्धीकरण करते हैं और प्रभावी करते हैं उन पर न्यायालयों द्वारा उन मूल अधिकारों के पहलू के रूप में अवश्य निर्भर किया जा सकता है और वे इस प्रकार प्रवर्तनीय हैं।

मूल अधिकार के रूप में भी पर्यावरण विषय को भारतीय संविधान के भाग-3 में स्थान दिया गया है। स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारत के उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर निर्णयज विधि के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में भी इसका उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निस्तरण के सिद्धांत के माध्यम से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में पर्यावरण के अधिकार को स्थापित किया है।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनु. 21 में प्रत्याभूत प्राण के अधिकार का भाग है। पर्यावरण प्रदूषण का

Scanned by CamScanner

सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अतः प्राण के अधिकार के संरक्षण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवम् पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण आवश्यक है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, चरन लाल साहू बनाम भारत संघ, एल. के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य आदि अनेकों ऐसे निर्णय हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण को मूल अधिकारों में सम्मिलित माना है।

माण्डू डिस्टलरीज प्रा. लि. बनाम म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल तथा सुशील आरा मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य जैसे वाद अनु. 14 के अंतर्गत सम्मिलित पर्यावरण के अधिकार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन वादों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित किया है कि समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। इसका अर्थ राज्य के पर्यावरणीय कृत्य से है। सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार होना चाहिए।

जैसे एक उद्योग, कारोबार जहां एक ओर विकास हेतु आवश्यक है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण में भी इसका योगदान अत्यधिक है। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (g) सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, कारोबार या व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है किंतु कुछ निबन्धनों के साथ। अभिलाष वैकसथाल्स बनाम राजकोट नगरपालिका निगम, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस लिक), एल. जगन्नाथ बनाम भारत संघ वाद इसके उदाहरण हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किए हैं।

Scanned by CamScanner

"पूर्वावधानी सिद्धांत" और "प्रदूषक उत्तरदायित्व सिद्धांत" को देश की विधि के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है।

सामान्यतः विधि कानूनों द्वारा विनियमन की प्रणाली द्वारा संचालित होती है किंतु भारत में पर्यावरण विधि का विकास रिट अधिकारिता के माध्यम से हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32 व अनु. 226) के द्वारा लोकहित वाद व व्यापक सक्रियता ने भारत में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट बनाम वी.एन. मुदल्या, सत्यवादी बनाम आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पत्रकारिता सेवा आश्रम बनाम उ.प्र. राज्य आदि अनेक लोकहित वाद है जिनके माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किए गए हैं।

इस प्रकार भारत के संविधान में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरण के अधिकार को संरक्षित एवम् संवर्धित करने का प्रयास किया गया जो आज भी निरंतर जारी है। स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अतः न केवल संवैधानिक विधि बल्कि अन्य साधारण एवं विशेष विधियों के माध्यम से भी भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास जारी है।

समाप्त।

डॉ. जितेन्द्र शर्मा

Scanned by CamScanner